न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 01/2016

अपीलांट –
नैनाराम पुत्र धीराराम जाति जाट
निवासी राजबेरा तहसील शिव
जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. खरथाराम पुत्र तुलछाराम
2. प्रेमाराम पुत्र तुलछाराम
3. गोरधनराम पुत्र तुलछाराम
4. जेठाराम पुत्र नरसिंगाराम
5. खेमाराम पुत्र नरसिंगाराम
6. किरताराम पुत्र नरसिंगाराम
7. सताराम पुत्र नरसिंगाराम
8. आसूराम पुत्र नरसिंगाराम
9. टीपूदेवी पत्नी नरसिंगाराम
   जति जाट निवासी राजबेरा तहसील
   शिव जिला बाड़मेर
10. तहसीलदार शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 128 दिनांक 22.01.2013 जो तहसीलदार शिव द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 10 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.12.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 128 दिनांक 22.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम राजबेरा के खसरा नं. 435 रकबा 70–14 बीघा के खातेदारान खरथाराम, प्रेमाराम, गोरधनराम पि0 तुलछाराम 1/2 नरसींगाराम, नेनाराम पि0 धीराराम 1/2 कौम जाट ने दिनांक 10.01.2013

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी उण्डू द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सरहद मौजा राजबेरा में जमाबंदी 2065 से 2068 के अनुसार खाता संख्या 30 में खरथाराम, प्रेमाराम, गोरधनराम पि0 तुलछाराम नरसींगाराम, नेनाराम पि0 धीराराम कौम जाट की रिकार्डेड खातेदारी है तथा उनके द्वारा एग्रीमेन्ट में बताये गये भूमि एवं लगान विवरण सही है। अब इन्होंने जिस अनुसार विभाजन किया है वो अपने अपने हिस्से पर उनके बताये अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक हिस्से के अनुसार अपने वाली भूमि के अनुसार उक्त विभाजन ठीक है तथा लगान को जो पुनः वितरण किया है वह प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि के रकबे व किस्म के अनुसार सही है। व एक नम्बर के भाग किये गये उसमें जो सीमा के वितरण बताया गया वह ठीक है। मौके पर ये उसी अनुसार है तथा नक्शे में भी सीमाओं का वितरण सही है वह भी मौके की स्थिति के अनुसार है। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 128 दिनांक 22.01.2013 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.01.2016 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 के अपीलाधीन पैतृक खातेदारी के मूल खेत खसरा संख्या 435 रकबा 17-14 बीघा की भूमि मौजा राजबेरा में आई हुई है जिसके विभाजन हेतु मौके पर कब्जा-काश्त तथा पूर्व में किये गये बाहमी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक-पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने रखा था जिस पर अपीलांट ने सहमति दी थी। इस क्रम में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव मय नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान लगाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर पटवारी ने रेस्पोडेंट्स से मिलीभगत कर मौके अनुसार नक्शा तैयार नहीं किया एवं इसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ज्ञान अपीलांट को होने दिये बिना ही तहसीलदार शिव से तस्दीक करवा लिया। अपीलाधीन विभाजन आदेश के अनुसार नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि मय अच्छी किस्म की भूमि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 435 मौजा राजबेरा की भूमि के मौके पर कब्जा–काश्त व बाहमी बंटवाडे के अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन विभाजन पारित होने का ज्ञान नहीं हो सका। वर्तमान में अरसा एक माह पूर्व रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट को पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार कब्जा हटाने हेतु कहा। इस पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी जो प्राप्त होने पर अपीलांट को विभाजन गलत होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी होने पर सम्यक तत्परता से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता एवं शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा राजबेरा के खसरा नंबर 435 रकबा 70–14 बीघा के खातेदारान खरथाराम, प्रेमाराम, गोरधनराम पि0 तुलछाराम 1/2 नरसींगाराम, नेनाराम पि0 धीराराम 1/2 कौम जाट ने दिनांक 10.01.2013 को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया गया है। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी उण्डू द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सरहद मौजा राजबेरा में जमाबंदी 2065 से 2068 के अनुसार खाता संख्या 30 में खरथाराम, प्रेमाराम, गोरधनराम पि0 तुलछाराम नरसींगाराम, नेनाराम पि0 धीराराम कौम जाट की रिकार्डेड खातेदारी है तथा उनके द्वारा एग्रीमेन्ट में बताये गये भूमि एवं लगान [illegible] जिस अनुसार विभाजन किया है वो अपने अपने हिस्से पर उनके बताये अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक हिस्से के अनुसार अपने वाली भूमि के अनुसार उक्त विभाजन ठीक है तथा लगान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जो पुनः वितरण किया है वह प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि के रकबे व किस्म के अनुसार सही है। व एक नम्बर के भाग किये गये उसमें जो सीमा के वितरण बताया गया वह ठीक है। मौके पर ये उसी अनुसार है तथा नक्शे में भी सीमाओं का वितरण सही है वह भी मौके की स्थिति के अनुसार है। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 128 दिनांक 22.01.2013 पारित किया गया है। इस विभाजन के बाबत प्रस्तुत अपील में अधिवक्ता अपीलांट का कथन हैं कि पटवारी ने रेस्पोडेंट्स से मिलीभगत कर मौके अनुसार नक्शा तैयार नहीं किया एवं इसका ज्ञान अपीलांट को होने दिये बिना ही तहसीलदार शिव से तस्दीक करवा लिया। अपीलाधीन विभाजन आदेश के अनुसार नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि मय अच्छी किस्म की भूमि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहे हैं तथा अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। इस प्रकार रेस्पोडेंट्स की ओर से किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करना उनकी मौन स्वीकृति प्रतीत होती हैं। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उल्लेखित परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से अपीलांट की ढाणी रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आई हैं जिससे उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 128 दिनांक 13.01.2011 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा राजबेरा के खसरा नंबर 435 के मौका–कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति एवं वास्तविक कब्जा–काश्त अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर